न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर

जिला–खैरथल तिजारा

पीठासीन अधिकारी : अमर सिंह खारडिया, आर.जे.एस.

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	30/2020, पुलिस थाना मुण्डावर
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:	23/1372/2022
सी०आई०एस० संख्या	:	193/2020
सी०एन०आर० संख्या	:	RJKA120005712020

राजस्थान राज्य

बनाम

राहुल पुत्र सुरेशचंद, निवासी–तुलेडा, पुलिस थाना सदर, जिला–अलवर (राजस्थान)

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित:

1. श्री आकाश मीणा सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री सतीश कुमार यादव द्वितीय, श्री केशव सिरोहीवाल अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 30.07.2026**

1. अभियोजन कहानी के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी शेरसिंह ने दिनांक 03.02.2023 पुलिस थाना मुण्डावर में उपस्थित होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 28.01.2020 को उसके पिताजी माडूराम पुत्र श्री मंगतूराम अपने गांव से पेंशन लेने के लिये अपने नवासे नरवीर के साथ मोटरसाइकिल नंबर एचआर 36 एल 9845 से जा रहे थे, जैसे डेजर्ट रोज पब्लिक स्कूल के पास पहुंचे तो मुण्डावर की ओर से मारूति एल्टो नंबर आरजे 02 सी 6447 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके पिता जी के टककर मार दी, जिससे उसके पिता जी के दांया पैर फेक्चर हो गया तथा शरीर के अन्य अंगों पर चोट आयी। उसके पिता जी को बहरोड अस्पताल लेकर गए जहां से एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया गया ....इत्यादि तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना मुण्डावर द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2020 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा०द०सं० में पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्त राहुल के विरूद्ध धारा धारा 279, 337, 338 भा०द०सं० के अपराध में आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा०द०सं० भारतीय दण्ड संहिता मे प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा धारा 279, 337, 338 भा०द०सं० के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। ।

3. (ए.) अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहों के बयान करवाये गये।

क्रम सं०	नाम गवाह	साक्ष्य
1.	पी०डब्ल्यू 01 शेरसिंह	परिवादी/बयान धारा 161 सीआरपीसी
2.	पी०डब्ल्यू 02 नरवीर	बयान धारा 161 सीआरपीसी
3.	पी०डब्ल्यू 03 माडूराम	बयान धारा 161 सीआरपीसी
4.	पी०डब्ल्यू 04 कर्मवीर	बयान धारा 161 सीआरपीसी, नक्शामौका घटनास्थल
5.	पी०डब्ल्यू 05 दाताराम	बयान धारा 161 सीआरपीसी, नक्शामौका घटनास्थल
6.	पी०डब्ल्यू 06 डा रूपेश	मेडिकल मुआयना
7.	पी०डब्ल्यू 07 जोगेन्द्र कुमार	फर्द निरिक्षण व अस्थायी सुपुर्दगी एमसी व फर्द जप्ती अल्टो कार व कागजात
8.	पी०डब्ल्यू 08 जलेसिंह	फर्द निरिक्षण व अस्थायी सुपुर्दगी एमसी
9.	पी०डब्ल्यू 09 राजवीर सिंह	जांच अधिकारी

(बी.) अभियोजन की ओर से निम्न दस्तावेज साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

क्रम सं०	दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी 01 तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 02 चाक एफआइआर
3.	प्रदर्श पी 03 फर्द नजरी निरिक्षण नक्शामौका
4.	प्रदर्श पी 04 चोट प्रतिवेदन
5.	प्रदर्श पी 05 एक्सरे प्लेट
6.	प्रदर्श पी 06 अस्थायी सुपुर्दगी मोटरसाइकिल
7.	प्रदर्श पी 07 फर्द जप्ती वाहन अल्टो
8.	प्रदर्श पी 08 फर्द जप्ती कागजात

9.	प्रदर्श पी 09	नोटिस 133 एमवी एक्ट
10.	प्रदर्श पी 10	नोटिस 134 एमवी एक्ट
11.	प्रदर्श पी 11	फर्द निरीक्षण रिकार्ड वाहन

4. साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होने अभियोजन पक्ष के गवाहान के कथनों को गलत बताकर, स्वयं को निर्दोष व झूंठा फंसाया जाना कहा तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा अवसर बंद किया गया।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान द्वारा घटना की ताईद की गई है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अभियोजन अपनी कहानी संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अंत में अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करते हुए दंडित किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियोजन अधिकारी के तर्को का खण्डन करते हुए कथन किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित हुए गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। किसी भी गवाह के बयानों में अभियुक्त का नाम नहीं है। प्रकरण में एफआईआर देरीना दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त निर्दोष हैं जिसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन अपनी कहानी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अंत में अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिष्चिय हेतु न्यायालय को निम्न विचारणीय बिंदू पर विनिश्चय किया जाना है–

1. क्या अभियुक्त राहुल ने दिनांक 28.01.2020 को किसी समय डेजेर्ट रोज पब्लिक स्कूल के पास अपने वाहन संख्या आरजे 02 सी 6447 को तेजी व लापरवाही से चलाकर परिवादी के पिता माडूराम के टक्कर मारी जिससे परिवादी के पिता के शरीर पर गम्भीर व साधारण उपहति कारित हुयी ?

2. यदि हां तो उचित दंड क्या होगा ?

7. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध साबित कराने हेतु अभियोजन पक्ष को अपना मामला अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। इस संदर्भ में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन

विश्लेशण किया जावे तो अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन मे गवाह पीड–01 शेरसिंह को साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसकी ओर से प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। परिवादी शेरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षणों में अभियोजन कहानी एवं उसकी ओर से प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 28.01.2020 को समय 11 बजे उसके पिता माडूराम अपने नवासे नरवीर के साथ मुण्डावर अपनी मोटरसाईकिल से जा रहे थे। जैसे ही वह डेजर्ट रोज पब्लिक स्कूल के पास पहुचे तो मुण्डावर की तरफ से एक अल्टो गाडी नंबर आरजे 02 सी 6447 तेजगति व लापरवाही से आई तो उसने उसके पिताजी के टक्कर मार दी। जिससे उसके पिता के पैर मे फ्रैक्चर हो गया जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मुण्डावर मे दर्ज करवाई जो प्रदर्श पी 01 है, चाक एफआईआर प्रदर्ष पी 02 है, नक्षा मौका प्रदर्श पी 03 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त की ओर से उक्त गवाह से की गयी जिरह का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने जिरह में कथन किये है कि दुर्घटन वक्त वह घर पर था। उसे दुर्घटना की जानकारी नरवीर ने दी थी। नरवीर और उसके पिता जी एल्टो गाडी से बहरोड पहुंच गए थे। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि ना कोई दुर्घटना को देखा और ना ही दुर्घटना करने वाले चालक को जानता है। इस प्रकार से उक्त गवाह के कथनों का अवलोकन करने से उक्त गवाह मौका का चस्मदीद गवाह नहीं है। गवाह के कथनो से इस बात पुष्टि नहीं होती कि अभियुक्त राहुल द्वारा अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर परिवादी के पिता जी के टक्कर मारी हो।

इस प्रकार से अभियोजन की ओर से अन्य गवाह गवाह पी०ड०–02 नरवीर को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रकरण में चस्मदीद गवाह है। उक्त गवाह ने परिवादी की ओर से प्रस्तूत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए सशपथ कथन किये है कि दिनांक 28.01.200 को समय करीब 11 बजे की बात है। वह और उसका नाना मोटरसाईकिल से अपने गांव से मुण्डावर जा रहे थे। जैसे ही डेजर्ट रोज पब्लिक स्कूल के पास पहुचे तो सामने की तरफ से अल्टो गाडी तेजगति व लापरवाही से आई, जिसने उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे उसके नाना के पैर में चोट आई थी। गाडी नंबर आरजे 02 सी 6447 थे। अभियुक्त की ओर से उक्त गवाह से की गयी जिरह का अवलोकन किया जाकर जिरह में उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मोटरसाइकिल उसकी थी व वही चला रहा था। अपने नाना को अस्पताल अपनी मोटरसाइकिल से लेकर आया था। गवाह ने जिरह में इस तथ्य से इंकार किया है कि एल्टो गाडी नंबर 6447 के चालक ने अपनी गाडी से उसे व उसके नाना को अस्पताल लेकर आया हो। मुण्डावर से बहरोड उसके नाना बुलेरो गाडी में लेकर गए थे। इस प्रकार से उक्त गवाह के कथनों का विवेचन विषलेषण किया जावे तो गवाह ने अपने कथनों में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त राहुल ने अपनी गाडी को तेज गाति व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी हो।

इसी प्रकार से अभियेाजन की ओर से अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड०–03 माडूराम को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जो प्रकरण में आहत है। अभियोजन के उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षणो में सशपथ कथन किये है कि सन् 2020 में वह व उसका नवासा नरवीर मोटरसाईकिल से गांव से मुण्डावर जा रहे थे। जैसे ही डेजर्ट रोज पब्लिक स्कूल के पास पहुचे तो सामने की तरफ से अल्टो गाडी तेजगति व लापरवाही से आई, जिसने उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे उसके पैर में चोट आई थी। अभियुक्त की ओर से उक्त गवाह से की गयी जिरह का अवलोकन किया जाकर जिरह में उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि दुर्घटना की तारीख याद नहीं है। दुर्घटना स्थल से अस्पताल एक एल्टो गाडी वाला लेकर आया था तथा वहीं गाडी वाला उसे बहरोड लेकर गया था। वह चालक को नहीं जानता। गाडी सफेद रंग की थी, कौनसी थी उसको नहीं पता। इस प्रकार से उक्त गवाह जो कि प्रकरण में स्वयं आहत है, अभियुक्त राहुल बाबत कोई कथन नहीं किये हैं तथा ना ही अभियुक्त राहुल की गाडी के नंबर बताये है। अभियोजन द्वारा उक्त गवाह से अभियुक्त की शिनाख्तगी की कार्यवाही भी नहीं करवायी गयी है। इस प्रकार से उक्त गवाह के कथनों का विवेचन विश्लेषण किया जावे तो गवाह ने अपने कथनों में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त राहुल ने अपनी गाडी को तेज गाति व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी दी हो, जिससे आहत माडूराम पी०ड० 03 के शरीर पर चोट आयी हो।

इसी प्रकार से अभियेजन ने अपनी कहानी के समर्थन में गवाह पी०ड०–04 कर्मवीर व गवाह पी०ड०–05 दाताराम को साक्ष्य प्रस्तूत किया गय है जो कि प्रकरण के अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाये गये नक्शामौका घटनास्थल के गवाह है। उक्त गवाहों ने समरूप रूप से कथन किया है कि सन् 2020 में पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था। जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। अभियुक्त की ओर से उक्त गवाहों से की गयी जिरह का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाहों ने जिरह में कथन किये है कि पुलिस ने नक्शामौका पर उनके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। चूंकि उक्त गवाहों ने जिरह में यह कथन किये है कि पुलिस ने उनके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु नक्शामौका प्रदर्श पी 03 पर उक्त दोनों गवाहों के हस्ताक्षर है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा सकता कि गवाहों ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये हों। उक्त गवाहों के कथनों से नक्शामौका प्रदर्ष पी 03 की पुष्टि होती है।

इसी प्रकार से अभियेजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड०–06 डॉ रूपेश को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जो चिकित्सा अधिकारी है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षणों में सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 18.02.2020 को सीएचसी मुण्डावर पर एमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना मुण्डावर के प्रतिवेदन पर मजरूब माडूराम की चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया था, चोट 01 दाए पैर के निचले हिस्से पर प्लास्टर बंधा हुआ था, जिसके लिए एक्स रे सलाह दी गई, जिसकी एमएलआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर

है तथा एक्स स्थान पर मजरूब का अंगूठा निशानी है, बाद एक्स रे चोट नंबर 01 दाए पैर का निचला हिस्सा कटा हुआ था, जो कुंद हथियार से कारित था गंभीर प्रकृति का था, जिस पर सी से डी उसकी राय अंकित है तथा एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 05 है। उक्त गवाह के कथनों को अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि मजरूब माडूराम के शरीर पर साधारण व गंभीर उपहति कारित हुई थी तथा गवाह के कथनों से मजरूब माडूराम की चोट प्रदर्श पी 02 व एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 05 की पुष्टि होती है।

इसी प्रकार से अभियेजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड०–07 जोगेन्द्र कुमार को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षणों में कथन किये हैं कि वह दिनांक 23.05.2020 को मुण्डावर पर सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु० नं० 30/20 मे आईओ राजवीर एएसआई द्वारा उसके सामने एमसी नंबर एचआर 36 एल 9845 के अस्थायी सुपुर्दगी बनायी थी जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तथा दिनांक 04.06.2020 को उक्त प्रकरण दुर्घटना कारित करने वाले एल्टो नंबर आरजे 02 सीए 6447 को जरिए फर्द जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 07 है व फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी 08 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन का उक्त गवाह औपचारिक मात्र है। उक्त गवाह के कथनों से फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 06 व फर्द जप्ती वाहन एल्टो नंबर आरजे 02 सीए 6447 प्रदर्श पी 07 व फर्द जप्ती वाहन दस्तावेज प्रदर्श पी 08 की पुष्टि होती है।

इसी प्रकार से अभियेजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड०–08 जलेसिंह को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षणों में कथन किये हैं कि वह दिनांक 23.05.2020 को मुण्डावर पर सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु नं 30/20 मे आईओ राजवीर एएसआई द्वारा उसके सामने एमसी नंबर एचआर 36 एल 9845 के अस्थायी सुपुर्दगी बनायी थी जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन की ओर से उक्त गवाह औपचारिक मात्र है। उक्त गवाह के कथनों से मोटरसाइकिल नंबर एचआर 36 एल 9845 की अस्थाई सुपुर्दगी प्रदर्श पी 06 की पुष्टि होती हे।

इसी प्रकार से अभियेजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड०–09 राजवीर सिंह को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जो कि प्रकरण का अनुसंधान कर्ता है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षणों में अभियोजन कहानी की पुष्टि करते हुए सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 03.02.2020 को थाना मुण्डावर पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु नं 30/2020 की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुयी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा परिवादी की निशादेही पर गवाह दाताराम व कर्मवीर के समक्ष घटनास्थल का नक्षामौका तैयार किया गया जो प्रदर्श पी 03 है जिसपर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह शेरसिंह, नरवीर, मांढूराम के बयान उनके कथानुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 23.05.2020 को एमसी नं एचआर 36 एल 9845 अस्थायी सुपुर्दगी बनायी जो

प्रदर्श पी 06 है जिसपर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 04.06.2020 को वाहन स्वामी नेमीचंद व मुलजिम राहुल को धारा 133 व 134 एमवी एक्ट को नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया जो प्रदर्श पी 09 व 10 है जिनपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी उनके हस्ताक्षर है इ से एफ उनका जवाब है। उसी दिन दुर्घटना कारित वाहन एल्टो नं आरजे 02 सीए 6447 को व उसके कागजात को फर्द जप्त किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 07 व 08 है जिनपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एल्टो वाहन को मेकेनिक मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 11 हैं। बाद अनुसंधान मुलजिम राहुल के विरूद्ध धारा 279,337,338 भादस का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएचओ को सुपुर्द की गयी। अभियुक्त की ओर से उक्त गवाह से की गयी जिरह का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने जिरह में कथन किये है कि मजरूब ने ओम अस्पताल में अपना मेडिकल करवाया था। उक्त दस्तावेज उसने प्राप्त नहीं किये और ना ही उसे इस बात की जानकारी है कि उसका इलाज ओम अस्पताल में हुआ हो। एक्सीडेंट आमने सामने से हुआ था। गवाह ने जिरह में इस तथ्य से इंकार किया है कि राहुल अपनी एल्टो गाडी से मजरूब को अस्पताल लेकर गया हो। इस प्रकार से अनुसंधान कर्ता के कथनों का अवलोकन किया जावे तो अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त राहुल के विरूद्ध धारा 133,134 एमवी एक्ट के नोटिस के आधार पर आरोप प्रमाणित पाया है। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं बताया है कि अभियुक्त राहुल को वक्त दुर्घटना अपने वाहन एल्टो को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए परिवादी के पिता के टक्कर मारते हुए किसी ने देखा हो। अनुसंधान अधिकारी पी०ड० 09 राजवीर के कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आए है कि अभियुक्त राहुल ने अपने वाहन एल्टो नंबर आरजे 02 सी ए 6447 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर परिवादी के पिता के टक्कर मारी हो।

8. इस प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन विषलेषण किया जावे तो अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण गवाह परिवादी पीडब्ल्यु 01 शेरसिंह जो प्रकरण में परिवादी है तथा अन्य गवाह आहत नरवीर व माडूराम जो कि प्रकरण के चस्मदीद गवाह भी है, ने अपने कथनों में इस बाबत कोई भी तथ्य नहीं बताए है कि अभियुक्त राहुल ने दिनांक 28.01.2020 को किसी समय डेजेर्ट रोज पब्लिक स्कूल के पास अपने वाहन संख्या आरजे 02 सी 6447 को तेजी व लापरवाही से चलाकर माडूराम के टक्कर मारी, जिससे माडूराम के शरीर पर गम्भीर व साधारण उपहति कारित हुयी हो। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से अन्य गवाहों का विवेचन विष्लेषण किया जावे तो अन्य किसी गवाहों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अभियुक्त राहुल ने दिनांक 28.01.2020 को किसी समय डेजेर्ट रोज पब्लिक स्कूल के पास अपने वाहन संख्या आरजे 02 सी 6447 को तेजी व लापरवाही से चलाकर माडूराम के टक्कर मारी हो। पत्रावली का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आए है कि अभियोजन द्वारा केवल धारा 133,134 एमवी

एक्ट के नोटिस के जवाब के आधार पर अभियुक्त राहुल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 09 व 10 धारा 133,134 एमवी एक्ट के नोटिस के जवाब से इस बात की पुष्टि होती है कि वक्त घटना एल्टो वाहन आरजे 02 सीए 6447 पर चालक अभियुक्त राहुल था, परंतु धारा 133,134 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी 09 व 10 का जवाब अभियुक्त द्वारा दिया गया है। इस संदर्भ न्यायालय का यह मत है कि दुर्घटना के मामलों में धारा 133,134 एमवी एक्ट के नोटिस के आधार पर जुर्म प्रमाणित पाए जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का उपरोक्तानुसार विवेचन विश्लेषण किये जाने से अभियोजन अपनी कहानी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त राहुल ने दिनांक 28.01.2020 को किसी समय डेजेर्ट रोज पब्लिक स्कूल के पास अपने वाहन संख्या आरजे 02 सी 6447 को तेजी व लापरवाही से चलाकर परिवादी के पिता माडूराम के टक्कर मारी जिससे परिवादी के पिता के शरीर पर गम्भीर व साधारण उपहति कारित हुयी हो। अतः अभियोजन कहानी संदेह से परे साबित नहीं होने पर अभियुक्त राहुल पुत्र श्री सुरेश चंद, निवासी–तुलेडा, पुलिस थाना सदर जिला–अलवर (राजस्थान) को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 भा०द०सं० में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

<u>आदेश</u>

09. अभियुक्त राहुल पुत्र श्री सुरेश चंद, निवासी–तुलेडा, पुलिस थाना सदर जिला–अलवर (राजस्थान) को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 भा०द०सं० में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त समझे जावे। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से ही सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर है, जो सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद मियाद अपील अवधि निरस्त समझी जावे।

(अमर सिंह खारडिया)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.
मुख्य न्यायिक मजि० मुण्डावर, खैरथल तिजारा

10. निर्णय आज दिनांक 30.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया व मुद्रांकित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(अमर सिंह खारडिया)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.
मुख्य न्यायिक मजि० मुण्डावर, खैरथल तिजारा